Serial No & Date of issue :- ------------------------------------ **Envelope "B"**

शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय (स्वशासी समिति) सागर (म.प्र.)

website :- www.bmcsagar.edu.in
Email :- bmcsagar@mp.gov.in

फोन नं. 07582–236270
फैक्स नं. 07582–236457

बाहय रोगी विभाग में आने वाले मरीजों/मरीजों के परिजनों एवं स्टाफ के लिये कैंटीन संचालन हेतु निविदा

पृष्ठ क्रं. 01 से 13 तक

निविदा मूल्य रु. 1000/–
(नॉन रिफण्डेबल)

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते

1. **कार्य का नाम :–**

निविदा का कार्य बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय परिसर के अंदर निर्धारित स्थल चिकित्सालय भवन के सामने (15 X 15 वर्ग फीट) पर स्टाफ/चिकित्सा छात्रों/एवं अन्य सामान्य जनों के लिए कैन्टीन संचालन रहेगा। जिसके अंतर्गत प्रचलित बाजार दर पर चाय/नाश्ता/स्वाल्पाहार/भोजन एवं पैक खाद्य सामग्री की खुली विक्री का कार्य संचालित किया जाना है। प्रत्येक सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता साफ तौर पर उल्लेखित की जानी चाहिए। सफल निविदाकार फर्म को टीनशेड स्वयं अपने व्यय पर अस्थाई तौर पर तैयार करना होगा।

2. **निविदा धरोहर राशि :–**

निविदादाता को निविदा के साथ अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) न्यूनतम रु. 50,000.00 (रु. पचास हजार मात्र) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. जो अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर एवं संबंधित फर्म के नामे एवं सागर में देय (निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अग्रिम धरोहर राशि संलग्न अथवा प्राप्त न होने पर निविदा अमान्य हो जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा धरोहर राशि के रुप में चैक/डीडी/बीसी मान्य नहीं है।), **जिसकी वैद्यता कम से कम 12 माह या इससे अधिक होना चाहिए।**

सफल निविदाकार की धरोहर राशि महाविद्यालय में निविदा अवधि पूर्ण होने तक जमा रहेगी, निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कोई भी अदाएगी शेष न रहने पर वापिस की जाएगी। शेष असफल निविदादाताओं की निविदा धरोहर राशि, आवेदन देने पर नियमानुसार तुरंत वापिस की जाएगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य : निविदा निरस्त अथवा अस्वीकृत होने पर निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रु. 1000/– (एक हजार मात्र) वापिसी योग्य नहीं है।

3. **निविदा की समयावधि :–**

निविदा कार्य 03 वर्षों के लिए होगी किंतु निविदा प्रथमतः 01 वर्ष के लिए होगी। निविदा कार्य संतोषजनक पाए जाने पर फर्म के आवेदन पर एवं आगामी वर्षों के लिए महाविद्यालय की क्रय समिति की अनुशंसा पर निविदा, पूर्व शर्तो के साथ अथवा शर्तो में आवश्यक संशोधन/वृद्धि पश्चात आगामी वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। (प्रतिमाह किराया राशि में 20 प्रतिशत बृद्धि की जावेगी)

4. **निविदा का प्रारुप एवं प्रस्तुति विधि :–**

निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा www.mpeproc.gov.in के साथ–साथ निविदा की एक हार्ड प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी। इस हेतु निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में स्याही या टाईप से भरा जाना आवश्यक होगा।

प्रत्येक पृष्ठ एवं प्रस्तुत अभिलेख पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील लगानी होगी। निविदा प्रपत्र में कोई सुधार (Correction/Overwritting) मान्य नही किया जाएगा। यदि सुधार करना आवश्यक हो तो स्पष्ट रुप से पुनः लिखकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा।

4.1 निविदा ऑनलाईन एवं त्रिस्तरीय होगी।

4.2 निविदादाता को ऑनलाईन दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ–साथ एक सील बंद लिफाफे में हार्डकॉपी महाविद्यालय में डाक/स्वयं के द्वारा अंतिम तिथि तक जमा कराना होगा।

4.3 मुख्य लिफाफे के अंदर तीन लिफाफे क्रमशः ए., बी. सी रखने होंगे।

4.4 लिफाफा ए में एफ.डी.आर. एवं निविदा मूल्य की मूल प्रति रखनी होगी।

4.5 लिफाफा बी में फर्म के हस्ताक्षर एवं सील सहित निविदा प्रपत्र एवं चाहे गए समस्त तकनीकि दस्तावेज रखने होंगे। चाहे गए समस्त दस्तावेज मांग किए गए क्रम अनुसार जमा किये जाने चाहिए।

4.6 लिफाफा सी में निविदा की वित्तीय दर मूल प्रति में जमा करनी होगी।

4.7 निविदाफर्म द्वारा समस्त दस्तावेज स्व प्रमाणित एवं फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत किए जाने होंगे।

4.8 प्रस्तुत किए जाने वाले सभी लिफाफों पर प्रति में अधिष्ठाता बीएमसी सागर तथा प्रेषक में फर्म का नाम एवं पूर्ण पता लिखा जाने के साथ साथ **''चिकित्सालय परिसर में कैण्टीन संचालन व्यवस्था निविदा वर्ष 2017–18''** लिखा जाना होगा।

4.9 ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करते हुए निविदाकार फर्म को निविदा की धरोहर राशि हेतु मूल प्रति की स्कैन कॉपी संलग्न की जानी होगी। साथ ही निविदा मूल्य की पावती भी संलग्न की जानी होगी।

4.10 ऑनलाईन निविदा की तकनीकि निविदा में फर्म को निविदा के चाहे गए समस्त तकनीकि दस्तावेजों के साथ–साथ निविदा प्रारुप जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म के सील व हस्ताक्षर हो स्कैन कर संलग्न की जानी होगी।

4.11 ऑनलाईन निविदा में चाहे गए प्रारुप में वित्तीय निविदा दर प्रस्तुत की जानी होगी।

5. निविदा प्रपत्र का विक्रय :–

निविदा प्रपत्र, www.mpeproc.gov.in से ऑनलाईन देखने/पढने के बाद दिनांक 15.11.2017 (बुधवार) सायं 5:30 बजे तक ऑनलाईन निर्धारित शुल्क जमा कर, ऑनलाईन क्रय की जा सकेगी। किसी भी परिस्थिति में निविदा मूल्य रु. 1000/– वापिसी योग्य नहीं है।

फर्म द्वारा चिकित्सालय में कैण्टीन व्यवस्था हेतु चिकित्सालय परिसर का भौतिक निरीक्षण, कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में आकर किया जा सकता है।

6. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :–

निर्धारित प्रपत्र एवं संलग्नक मोहर बंद लिफाफे में जिसके ऊपर **''चिकित्सालय परिसर में कैण्टीन संचालन व्यवस्था 2017–18''** अंकित कर अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शा. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालय में हार्डकॉपी दिनांक 20.11.17 (सोमवार) को शाम 5:30 बजे तक जमा की जा सकती है। निविदाकार फर्म से अपेक्षा की जाती है कि उसके द्वारा

हार्डकॉपी में वही दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए, जिन्हें वह ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत कर रहे। फर्म द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किए गए दस्तावेज ही मान्य किए जाएंगे। डाक विलंब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

7. निविदा खोलने की तिथि एवं निविदा का स्वरुप :–

दिनांक 21.11.2017 (मंगलवार) को दोपहर 3:00 बजे अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शा.चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के बैठक कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित क्रय समिति के सदस्यों, द्वारा ऑनलाईन निविदा खोली जावेगी। समस्त निविदादाता फर्म निविदा खोलने की कार्यवाही ऑनलाईन देख सकेंगे।

7.1 दि. 21.11.17 को दोपहर 3:00 बजे निविदा की एफडीआर निविदा 'ए' खोला जाएगा।

7.2 निविदा 'ए' में सफल होने वाले निविदाकारों की तकनीकि निविदा 'बी' दि. 21.11.17 को दोपहर 4:00 बजे खोली जावेगी।

7.3 निविदा 'बी' में सफल होने वाले निविदाकारों की वित्तीय निविदा 'सी' दि. 22.11.17 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी।

7.4 चाहे गए दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत न करने पर किसी भी स्तर पर निविदाकार फर्म के असफल होने की पूर्ण जबावदेही संबंधित फर्म की होगी।

7.5 क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

8. निविदा का परीक्षण एवं चयन :–

समिति के सदस्यों द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा तथा चाहे गए सभी अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जाएगा। जिस निविदादाता फर्म द्वारा केन्टील स्थल (जैसा है वैसा ही) का किराया अधिकतम दिया जाएगा, उसे चयनित किया जाएगा। यदि एक से अधिक निविदादाता की दरें बराबर होंगी तो उस स्थिति में निविदादाता के कार्यानुभव की अधिकता को वरीयता दी जावेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा कि एक या अधिक दरों को या न्यूनतम/अधिकतम दर वाली फर्म को यदि वह उचित समझता है तो बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगा तथा इस संबंध में अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदा में उल्लेखित कार्यक्षेत्र में बगैर सूचना के किसी भी समय परिवर्तन करने या निविदा निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को होगा।

9. लायसेंस की अनिवार्यता :–

निविदादाता फर्म के पास खाद्य विभाग द्वारा जारी भोजन संचालन संबंधी लायसेंस होना अनिवार्य है। साथ ही श्रम विभाग में श्रम कार्य हेतु पंजीयन होना अनिवार्य है। निविदा फर्म के तकनीकि निविदा प्रपत्र में, चाहे गए समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियॉ फर्म को स्वयं के हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. **अनुबंध :–**

सफल निविदाकार को अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के साथ एक वर्ष के लिए महाविद्यालय में **" स्टाफ/चिकित्सा छात्र/अन्य सामान्य जन के कैंटीन संचालन हेतु निविदा वर्ष 2017–18"** कार्य हेतु अनुबंध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु निर्धारित राशि रू. 1,000– के स्टाम्प पेपर नोटरी इत्यादि का व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा। निविदा की अवधि प्रथमतः 12: माह एवं तत्पश्चात कार्य संतोषजनक होने पर आगामी वर्षों के लिए मान्य होगी, किन्तु स्वीकृत निविदा दरों में कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा। कार्यसंतोषजनक न होने पर बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन को कभी भी एक माह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं अनुबंध में नई शर्तें घटाने या बढ़ाने का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय प्रशासन को होगा।

11. **निविदा का चयन :–**

विज्ञप्त निविदा **"स्टाफ/चिकित्सा छात्र/अन्य सामान्य जन के कैंटीन संचालन हेतु निविदा वर्ष 2017–18"** त्रिस्तरीय होगी। जिसमें प्रथमतः जिन निविदादाताओं की धरोहर राशि प्राप्त होगी, उन्हीं की तकनीकि निविदाऍ खोली जाएंगी एवं जो तकनीकि निविदा में सफल हुए होंगे, उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदाऍ खोली जाएगी। जिस निविदादाता फर्म द्वारा केन्टील स्थल (जैसा है वैसा ही) का किराया अधिकतम दिया जाएग, उसे ही **"स्टाफ/चिकित्सा छात्र/अन्य सामान्य जन के कैंटीन संचालन हेतु निविदा वर्ष 2017–18"** का कार्य, अनुबंध एवं किराया राशि जमा करने पर प्रदान किया जाएगा। किसी भी स्तर में निविदादाता की विफलता का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा।

इसके अतिरिक्त बिजली किराया व्यावसायिक दर प्रति यूनिट अनुसार एवं पानी व्यय राशि रू. 500– पृथक से देना होगा। किन्तु निविदादाता फर्म चाहे तो बाहर से भी बिजली का कनेक्शन की व्यवस्था स्वयं के व्यय से कर सकेगा।

12. **"स्टाफ/चिकित्सा छात्र/अन्य सामान्य जन के कैंटीन संचालन हेतु निविदा वर्ष 2017–18" निविदा संचालन की अनिवार्य (अनुबंध) शर्ते :–**

12.1 सफल निविदादाता फर्म को मासिक किराया, प्रतिमाह अग्रिम रुप से प्रतिमाह चालान के माध्यम से महाविद्यालय के पावर ज्योति खाते में या शासन खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। कर अतिरिक्त रहेगा।

12.2 सफल निविदादाता को **"स्टाफ/चिकित्सा छात्र/अन्य सामान्य जन के कैंटीन संचालन हेतु निविदा वर्ष 2017–18"** कार्य हेतु निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर रू. 1000– पर अनुबंध कराया जाना होगा। जिसकी नोटरी कार्य एवं स्टाम्प पेपर का संपूर्ण व्यय निविदादाता फर्म द्वारा किया जाएगा।

12.3 अनुबंध करने की तिथि से प्रथमतः आपको 12 माह हेतु संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर आगामी वर्षों की वृद्धि की जाएगी। क्रय समिति की अनुशंसा पर कैन्टीन निविदा आगामी वर्ष के लिए, किराया राशि में 20 प्रतिशत की वृद्धि एवं संलग्न भोजन दर पत्रक अनुसार, फर्म के आवेदन पर बढ़ाई जा सकेगी।

12.4 केन्टीन स्थल से प्रदाय अथवा बनाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, उच्च एवं खाद्य विभाग के मानक स्तर की होनी चाहिए। तैयार खाद्य सामग्री, निम्न अथवा खाद्य विभाग के मानक स्तर की न होने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निविदादाता फर्म पर अर्थदण्ड के रुप में न्यूनतम राशि रु. 500/– एवं अधिकतम राशि रु. 2000/–तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। जिसे फर्म को जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा फर्म की निविदा निरस्त करते हुए, अग्रिम धरोहर राशि राजसात करते हुए द्वितीय निविदाकार को निविदा प्रदान की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तर दायित्व प्रथम निविदादाता फर्म का होगा।

12.5 निविदादाता फर्म केन्टीन स्थल से बाजार प्रचलित दर से चाय/सुबह का नाश्ता/भोजन की विविध सामग्री विक्रय की जाएगी। तथा पैक खाद्य/पेय सामग्री इत्यादि प्रिंट रेट से विक्रय की जावेगी। खाद्य/पेय सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री की विक्री पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी।

12.6 निविदादाता फर्म द्वारा केन्टीन स्थल में केवल शाकाहारी भोजन ही तैयार किया जाएगा।

12.7 समय–समय पर होने वाले विभिन्न आयोजन पर आपको महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशानुसार स्वल्पाहार/भोजन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। जिसका भुगतान नियमानुसार महाविद्यालय द्वारा फर्म को किया जाएगा। पैक बंद खाद्य/पेय सामग्री पर 5 प्रतिशत की रियायत महाविद्यालय को देना होगा।

12.8 निविदादाता फर्म स्वयं अथवा अन्य किसी भी कारण से निविदा कार्य करने में असफल होता है या स्वयं कार्य छोड़ता है। तो नियमानुसार जमा अग्रिम धरोहर राशि से 25 प्रतिशत राशि कटौत्रा कर शेष राशि ही वापिस की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा एवं ऐसी स्थिति में द्वितीय निविदादाता फर्म को कार्यादेश जारी करते हुए प्रथम निविदाकार का अधिकार समाप्त किया जाएगा।

12.9 निविदाकार फर्म को, भोजन बनाने एवं प्रदाय करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित समस्त आवश्यक रजिस्टेंशन, स्वयं के व्यय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए, अग्रिम धरोहर राशि राजसात कर, द्वितीय निविदादाता को निविदा प्रदान की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रथम निविदादाता का होगा।

12.10 महाविद्यालय द्वारा निविदाकार फर्म को, केन्टीन स्थल चिकित्सालय भवन के सामने (15 X 15 वर्ग फीट) (जैसा है वैसा ही) ही उपलब्ध कराया जाएगा, फर्म को स्वयं के व्यय पर अस्थाई टीन शेड तैयार करना होगा।

12.11 फर्म द्वारा, केन्टीन स्थल में उपयोग की जाने वाली विद्युत का मासिक भुगतान,मासिक किराए के अतिरिक्त पृथक से, सबमीटर की रीडिंग एवं विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित उच्च दाव विद्युत दर पर करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में यह दर लगभग 12 रु. प्रति यूनिट है।

12.12 निविदादाता फर्म को, भोजन निर्माण स्थल में पानी सप्लाई हेतु मासिक किराए के अतिरिक्त पृथक से, राशि रु. 500.00 प्रतिमाह जमा कराना अनिवार्य होगा।

12.13 निविदादाता फर्म को, भोजन निर्माण स्थल की साफ–सफाई/सुरक्षा व्यवस्था स्वयं करनी होगी। गंदगी पाए/फैलाने पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा। निविदादाता फर्म को कचड़ा, महाविद्यालय परिसर से बाहर नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल में डालना होगा।

12.14 निविदाकार फर्म को केन्टीन स्थल में भोजन बनाने एवं प्रदाय हेतु, खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित मानको का पालन करना अनिवार्य होगा। उनके द्वारा किए जाने वाले औचक निरीक्षण में पाई गई कमियों/अनियमितताओं/अर्थदण्ड इत्यादि का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

12.15 केन्टीन की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अप्रिय स्थिति में फर्म को स्वयं करनी होगी।

12.16 किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा बीच में ही बिना किसी कारण बताए निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर का होगा।

12.17 निविदाकार फर्म को, शासकीय कार्य में ब्लेक लिस्टेड न होने एवं निविदा प्रपत्र में भरी जानकारी तथा संलग्नकों के सत्य होने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित राशि के स्टाम्प पर जमा कराना अनिवार्य होगा। (स्टाम्प का प्रारुप संलग्न है)

12.18 निविदाकार फर्म, निविदा संचालन हेतु बाल श्रमिकों को नियुक्त नहीं करेगा। तथा निविदाकार फर्म द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति समस्त शासकीय विभागों जैसे– श्रम विभाग इत्यादि के मापदण्डों का पालन किया जाना होगा।

12.19 निविदाकार फर्म से किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

12.20 केन्टीन स्थल खुलने एवं बंद होने का समय प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक, कैलेंडर वर्ष के संपूर्ण दिवस रहेगा। जिसमें समयानुसार चाय/दूध/स्वल्पाहार/भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा।

12.21 केन्टीन स्थल में व्यक्तिगत उधारी के लेन–देन के लिए निविदादाता फर्म स्वयं जिम्मेदारी होगा। महाविद्यालय प्रशासन इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

12.22 निविदा शुरु करने के पूर्व निविदाकार को केन्टीन स्थल का चार्ज महाविद्यालय से लिखित में प्राप्त करना होगा तथा निविदा अवधि पूर्ण होने पर तुरंत निविदाकार अपना निजी सामान केन्टीन स्थल से हटाकर 3 दिन के अंदर महाविद्यालय को अथवा अधिष्ठाता द्वारा आदेशित व्यक्ति को सौंपना अनिवार्य होगा।

12.23 निश्चित अवधि के बाद केन्टीन स्थल अथवा उसके किसी भी भाग का आधिपत्य न देना शासकीय भूमि व संपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण माना जाएगा तथा इस संबंध में

नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा उसमें जो भी व्यय होगा वह निविदाकार की धरोहर राशि से वसूल किया जाएगा। केन्टीन स्थल के अलावा अन्य कहीं भी सामान रखना शासकीय भवन में अतिक्रमण माना जावेगा। जिसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

12.24 केन्टीन स्थल के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का निर्माण संबंधी कार्य नहीं किया जाए। यदि आवश्यक है तो अधिष्ठाता महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर, कार्य संपादित कराया जाए। केन्टीन स्थल में किसी भी प्रकार के नुकसान होने पर उसकी क्षतिपूर्ति निविदाकार की धरोहर राशि से पूर्ण की जाएगी।

12.25 निविदादाता को **"स्टाफ/चिकित्सा छात्र/अन्य सामान्य जन के कैंटीन संचालन हेतु निविदा वर्ष 2017–18"** का कार्य, स्वयं चलाना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा।

12.26 केन्टीन में बीमा एवं अन्य समस्त दावों की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।

12.27 केन्टीन स्थल में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ/धूम्रपान संबंधी सामग्री का क्रय–विक्रय नहीं किया जाएगा तथा निविदादाता या उसके कर्मचारी आदि कोई भी मादक पदार्थ एवं धूम्रपान संबंधी का उपयोग नहीं करेंगे। निविदादाता किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ बाहर से लाकर भोजन निर्माण स्थल में उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं देगा।

12.28 केन्टीन स्थल में किसी भी प्रकार का न्यूसेंस, आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निषेध रहेगा। स्थल पर अनुशासन व शांति बनाए रखना निविदादाता का ही कर्तव्य होगा।

12.29 निविदादाता दी गई जानकारी असत्य, संलग्नक फर्जी पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए, वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

12.30 केन्टीन स्थल में निविदादाता को आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रखना होंगे। उनके पोषाक एक समान एवं साफ–सुथरी होगी। कर्मचारी का आचरण अनुकूल एवं वेशभूषा सभ्य होनी चाहिए। सभी कर्मचारियों की पोषाक पर, संबंधित की नेम प्लेट एवं आई.डी. होना आवश्यक होगा। उक्त कर्मचारियों की पूर्ण सूची जिसमें उनके फोटो आई.डी. (जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड) की छायाप्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

12.31 निविदादाता फर्म को स्वयं के व्यय पर निविदा कार्य हेतु नियुक्त किए गए कर्मचारियों के चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं संबंधित थाने से चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों के बदलने पर नए कर्मचारियों हेतु उक्त नियम लागू होगा।

12.32 निविदादाता फर्म बीमार व्यक्ति, अतिबृद्ध व्यक्ति को निविदा कार्य हेतु नहीं रखेगी। साथ ही नियुक्त कर्मचारियों के समय–समय पर स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी।

12.33 निविदादाता अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जबावदार होगा।

12.34 ऊपर दी गई शर्तो के अलावा ठेकेदार द्वारा दी गई शर्त मान्य नहीं होगी। किसी भी न्यायालीन कार्यवाही के लिए कार्यक्षेत्र सागर होगा।

12.35 अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर को ऊपर दी गई शर्तो में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।

12.36 इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार, आयुक्त, सागर संभाग सागर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति का होगा व उनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

12.37 केन्टीन स्थल में ईधन के लिए अधिकृत एल.पी.जी. व्यावसायिक गैस का ही उपयोग किया जाएगा।

12.38 अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर को कोई भी निविदा किसी भी समय स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।

12.39 निविदादाता फर्म अथवा उसके संचालक को न तो किसी शासकीय कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो, और न ही फर्म अथवा संचालक के विरुद्ध किसी भी सक्षम अधिकारी के न्यायालय में अथवा खाद्य विभाग में अमानक स्तर की सामग्री से संबंधित प्रकरण प्रचलन में हो।

12.40 छात्र, स्टाफ एवं सामन्यजन के लिए केन्टीन में बैठने की व्यवस्था पृथक–पृथक करनी होगी।

12.41 केन्टीन में रेटलिस्ट की सूची दो/तीन जगह चस्पा करना अनिवार्य होगी।

12.42 शुद्ध तथा ठंडे पानी हेतु आर.ओ. एवं वाटरकूलर फर्म को स्वयं लगाना होगा।

12.43 उपरोक्त वर्णित शर्तो के उल्लंघन करने पर निविदादाता फर्म पर प्रति प्रकरण राशि रु. 500/ अर्थदण्ड लगाया जाएगा। एवं शर्तो के उल्लंघन की पुरावृत्ति बार–बार होने पर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जाकर, सुरक्षा धरोहर राशि को राजसात किया जाएगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायिव निविदादाता फर्म का होगा।

12.44 फर्म के पास जीवित खाद्य विभाग का लायसेंस एवं जीवित जी.एस.टी. पंजीयन होना अनिवार्य है।

13. **निविदा हेतु आवश्यक संलग्नकों की सूची :–**

उपरोक्त निविदा प्रपत्र, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं सील हो निम्न संलग्नकों के साथ एक सील बंद लिफाफें में जिसके ऊपर **"स्टाफ/चिकित्सा छात्र/अन्य सामान्य जन के कैंटीन संचालन हेतु निविदा वर्ष 2017–18"** की तकनीकि निविदा **Envelope- "B** लिखकर, रखें :–

निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत विवरण :–

1. फर्म का नाम :– ....
2. फर्म के प्रोपराईटर का नाम :– ....
3. फर्म के प्रोपराईटर का मो. नं. :– ....
4. फर्म का पूर्ण पता :– ....
5. फर्म का दूरभाष/फैक्स व ई–मेल नं :– ....
6. फर्म के व्यवस्थापक का फोटो आई.डी. नं. :– ....

क्रमांक	विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
1	खाद्य विभाग द्वारा जारी भोजन बनाने एवं प्रदाय संबंधी लायसेंस प्रति	
2	फर्म/प्रोपराईटर का आयकर नम्बर की प्रति	
3	जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति	
4	आयकर चुकता प्रमाण पत्र गत वित्तीय वर्ष 2015–16 अथवा 2016–17	
5	निर्धारित राशि के रू. 50 के स्टाम्प पर शपथ पत्र ब्लैक लिस्टेड न होने संबंधी (अनिवार्य संलग्न परिशिष्ट–1 में)	
6	संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं अन्य सामग्री लेटर हैड पर जानकारी आवश्यक है। परिशिष्ट–2	
7	भोजन बनाने एवं प्रदाय करने संबंधी अनुभव (यदि है तो)	
8	अन्य कोई यदि हो तो	

परिशिष्ट–1

(निर्धारित राशि रू. 50 के स्टाम्प पर घोषण पत्र नोटरी कर संलग्न करना अनिवार्य है)

घोषणा पत्र

मैं. .... (निविदादाता का नाम/फर्म का नाम) पता .... शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूॅ कि मैंने पूर्ण होश एवं ध्यान से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र की शर्ते पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्ते पूर्णतः मंजूर है। तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाएॅ जाने पर मेरी निविदा तत्काल निरस्त कर, वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सहमति प्रदान करता हूॅ। साथ ही शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूॅ कि मेरी फर्म अथवा व्यक्तिगत मुझे, किसी भी शासकीय कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है और न ही मेरी फर्म अथवा मेरे नाम से खाद्य विभाग में अमानक सामग्री संबंधी कोई प्रकरण पंजीबद्ध है। मैं अथवा मेरी फर्म महाविद्यालय प्रशासन/शासन द्वारा निर्धारित समस्त नियमों एवं दायित्वों का पालन करने हेतु सहमति प्रदाय करता हूॅ।

गवाह हस्ताक्षर

1. पूरा नाम :– ....
   पता :– ....
   ....
2. पूरा नाम :– ....
   पता :– ....
   ....

हस्ताक्षर ....

निविदादाता फर्म का नाम ....

पता :– ....

मोबाईल नं. :– ....

परिशिष्ट–2

वाहन निविदा हेतु कर्मचारी एवं सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी फर्म के लेटर हेड पर जारी प्रमाण पत्र

मैं. .... पुत्र श्री .... उम्र .... (निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर/संस्थापक/संचालक का नाम/) फर्म .... पता .... यह प्रमाणित करता हूॅ। कि यदि हमारी फर्म को बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर में कैण्टीन संचालन हेतु निविदा प्रदान की जाती है, तो हमारी फर्म, महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समुचित संख्या में कर्मचारी एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराऍगें।

हस्ताक्षर ....

संचालक/व्यवस्थापक का नाम ....

निविदादाता फर्म का नाम ....

पूर्ण पता :– ....

मोबाईल नं. :– ....

Envelope- "C"

<u>वित्तीय निविदा प्रपत्र</u>

प्रति,

श्रीमान अधिष्ठाता,
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,
सागर (म.प्र.)।

विषय :– **''स्टाफ/चिकित्सा छात्र/अन्य सामान्य जन के कैंटीन संचालन हेतु निविदा वर्ष 2017–18''** की वित्तीय निविदा।

आपके द्वारा .... (समाचार पत्र का नाम) में दि. .... को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में **''स्टाफ/चिकित्सा छात्र/अन्य सामान्य जन के कैंटीन संचालन हेतु निविदा वर्ष 2017–18''** हेतु निम्नानुसार निविदा प्रस्तुत करता हूँ, मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्ते मान्य है।

उक्त कार्य हेतु मेरे द्वारा केन्टीन स्थल का अधिकतम किराया रु. .... (शब्दों में रु. .... मात्र) (कर अतिरिक्त) प्रतिमाह अग्रिम, महाविद्यालय के पावर ज्योति खाता में चालान के माध्यम से या शासन मद में जमा किया जाएगा।

निविदादाता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :– ....

....

दूरभाष/फैक्स क्रं. :– ....

मोबाइल नं. :– ....

निविदादाता फर्म प्रमुख के हस्ताक्षर :– ....

निविदादाता फर्म प्रमुख का नाम :– ....

निविदादाता फर्म की सील :– ....